इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 166] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 20 अप्रैल 2017—चैत्र 30, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल 2017

क्र. 6322-80-21-अ(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 12 अप्रैल, 2017 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १३ सन् २०१७

मध्यप्रदेश आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग को आवास गारंटी अधिनियम, २०१७

विषय-सूची

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

२. परिभाषाएं.

३. पात्र व्यक्तियों को किफायती मूल्य पर आवास या नि:शुल्क आवासीय भूखण्ड की पात्रता.

४. पात्र व्यक्तियों का पंजीयन.

५. आवासों और आवासीय भूखण्डों का आबंटन.

६. जिला स्तरीय आवास समितियों का गठन.

७. जिला स्तरीय आवास समिति के कर्तव्य.

८. प्राधिकृत अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध अपील.

९. नियम बनाने की शक्ति.

१०. निदेश जारी करने की राज्य सरकार की शक्ति.

११. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १३ सन् २०१७.

मध्यप्रदेश आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग को आवास गारंटी अधिनियम, २०१७

[दिनांक 12 अप्रैल 2017 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक 20 अप्रैल, 2017 को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश राज्य के पात्र निवासियों को किफायती मूल्य पर आवास या नि:शुल्क आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराने की गारंटी देने और उससे संसक्त तथा उससे आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ. १. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग को आवास गारंटी अधिनियम, २०१७ है.

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा.

(३) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— **परिभाषाएं.**

(क) "किफायती मूल्य" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित किया गया मूल्य;

(ख) "प्राधिकृत अधिकारी" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित, डिप्टी कलक्टर की श्रेणी से अनिम्न श्रेणी का कोई अधिकारी जो आवास या आवासीय भू-खण्ड के लिए पात्र व्यक्तियों का पंजीयन करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो;

(ग) "जिला स्तरीय आवास समिति" से अभिप्रेत है, धारा ६ के अधीन गठित जिला स्तरीय आवास समिति;

(घ) "मध्यप्रदेश का मूल निवासी" से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित मध्यप्रदेश का मूल निवासी है;

(ङ) "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या निम्न आय वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या निम्न आय वर्ग का कोई परिवार;

(च) "पात्र व्यक्ति" से अभिप्रेत है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या निम्न आय वर्ग का कोई व्यक्ति जो मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो और जिसका या तो स्वयं के नाम से या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से मध्यप्रदेश राज्य में कोई आवास या आवासीय भू-खण्ड नहीं है:

परन्तु सरकार की किसी योजना के अधीन स्वामी या पट्टाधारी के रूप में किसी प्रकार का आवास या भू-खण्ड रखने वाला व्यक्ति पात्र नहीं होगा किन्तु यदि कोई हितग्राही केन्द्रीय या राज्य सरकार की किसी योजना में विनिर्दिष्ट पात्रता मापदण्ड के अनुसार पात्र है तो ऐसी अपात्रता लागू नहीं होगी;

(छ) "परिवार" से अभिप्रेत है, पति/पत्नी, उनके अवयस्क बच्चे और २५ वर्ष से कम आयु के अविवाहित बच्चे:

परन्तु विधवा/तलाकशुदा पुत्री, बहन, पुत्रवधु, पिता, माता, ससुर/सास अथवा शारीरिक रूप से विकलांग भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, जो पूर्ण रूप से आश्रित हैं तथा एक ही छत के नीचे निवासरत हैं, परिवार का भाग माने जाएंगे;

(ज) "आवास" से अभिप्रेत है, आवासीय प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाए जाने योग्य २५ वर्ग मीटर से अन्यून प्रत्येक इकाई के अधिनिर्मित (सुपर बिल्टअप) (कंस्ट्रक्टेड) क्षेत्र की छत तथा शौचालय युक्त कोई एक मंजिली या बहुमंजिली अधोसंरचना;

(झ) "क्रियान्वयन अभिकरण" से अभिप्रेत है, अधिनियम के अधीन आवास अथवा आवासीय भूखण्ड का निर्माण अथवा आबंटन करने के लिए सशक्त कोई अभिकरण और इसमें सम्मिलित होंगे, ग्रामीण अथवा नगरीय स्थानीय निकाय, विकास प्राधिकरण तथा मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास बोर्ड;

(ञ) "आवासीय भू-खण्ड" से अभिप्रेत है, नगरपालिक निगम में न्यूनतम ४५ वर्ग मीटर तथा अन्य क्षेत्र में ६० वर्ग मीटर की भूमि का कोई भाग, जिस पर किसी आवास का संनिर्माण अनुज्ञेय होगा.

पात्र व्यक्तियों को किफायती मूल्य पर आवास या नि:शुल्क आवासीय भूखण्ड की पात्रता.

३. (१) प्रत्येक पात्र व्यक्ति एक किफायती मूल्य पर आवास या नि:शुल्क आवासीय भूखण्ड के लिए पात्र होगा और राज्य सरकार समस्त पात्र व्यक्तियों को क्रमश: किफायती मूल्य पर आवास अथवा नि:शुल्क आवासीय भूखण्ड की गारंटी देती है.

(२) कोई आवास या आवासीय भूखण्ड आबंटित करने की शक्ति क्रियान्वयन अभिकरण में निहित होगी तथा आवास संबंधी शिकायतों का निवारण जिला स्तरीय आवास समिति द्वारा किया जाएगा.

पात्र व्यक्तियों का पंजीयन.

४. (१) यदि कोई पात्र व्यक्ति, किफायती मूल्य पर कोई आवास या नि:शुल्क आवासीय भूखण्ड प्राप्त करने के लिये किसी सर्वेक्षण में पात्र पाया जाता है तो प्राधिकृत अधिकारी ऐसे पात्र व्यक्ति का विहित रीति में पंजीयन करेगा, जिसके पास अपनी पात्रता के प्रमाण में दस्तावेज हों.

(२) प्राधिकृत अधिकारी, पात्र व्यक्तियों का रजिस्टर संधारित करेगा और पंजीकृत हितग्राहियों की सूचना जिला स्तरीय आवास समिति को देगा.

आवासों और आवासीय भूखण्डों का आबंटन.

५. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, नगरीय तथा ग्रामीण स्थानीय निकाय, आवासों और आवासीय भूखण्डों के आबंटन के प्रयोजन के लिए ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, लैंड पूलिंग को अंगीकृत कर सकेगा.

जिला स्तरीय आवास समितियों का गठन.

६. राज्य सरकार, ऐसी रीति में तथा ऐसे सदस्यों को सम्मिलित करते हुए, जैसा कि विहित किया जाए, जिला स्तरीय आवास समितियों का गठन कर सकेगी.

जिला स्तरीय आवास समिति के कर्तव्य.

७. जिला स्तरीय आवास समिति, उसके क्षेत्राधिकार के अधीन पंजीकृत किए गए पात्र व्यक्तियों की जानकारी के आधार पर आवास की आवश्यकताओं का प्राक्कलन करेगी. जिला स्तरीय आवास समिति, उसके क्षेत्राधिकार के अधीन पंजीकृत पात्र व्यक्तियों को किफायती मूल्य पर आवास या नि:शुल्क आवासीय भूखण्ड क्रमश: उपलब्ध करवाने के लिये क्रियान्वयन अभिकरण को निदेश दे सकेगी और यह ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन भी करेगी जैसे कि राज्य सरकार द्वारा इसे सौंपे जाएं.

प्राधिकृत अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध अपील

८. पात्र व्यक्ति के सम्मिलन अथवा अपवर्जन के प्राधिकृत अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध अपील जिला कलक्टर के समक्ष होगी जो साठ दिवस के भीतर ऐसी अपील का निराकरण करेगा.

नियम बनाने की शक्ति.

९. (१) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी.

(२) इस धारा के अधीन बनाए गए समस्त नियम विधान सभा के समक्ष रखे जाएंगे.

निदेश जारी करने की राज्य सरकार की शक्ति.

१०. राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए ऐसे निदेश जारी कर सकेगी जैसे कि वह आवश्यक समझे.

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति.

११. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्‌भूत होती है तो राज्य सरकार, आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, कठिनाई दूर कर सकेगी.

भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल 2017

क्र. 6322-80-इक्कीस-अ(प्रा.) अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग को आवास गारंटी अधिनियम, 2017 (क्रमांक 13 सन् 2017) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 13 OF 2017

THE MADHYA PRADESH ARTHIK ROOP SE KAMZOR VARG TATHA NIMNA AAY VARG KO AWAS GUARANTEE ADHINIYAM, 2017

TABLE OF CONTENTS

Sections :—

1. Short title extent and commencement.
2. Definitions.
3. Entitlement of houses at afforedable price or free of cost residential plots to eligible persons.
4. Registration of eligible persons.
5. Allotment of houses and residential plots.
6. Constitution of District Level Housing Committee.
7. Duties of District Level Housing Committee.
8. Appeal against the decision of the Authorized Officer.
9. Power to make rules.
10. Power of the State Government to issue directions.
11. Power to remove difficulties.

MADHYA PRADESH ACT
No. 13 OF 2017

THE MADHYA PRADESH ARTHIK ROOP SE KAMZOR VARG TATHA NIMNA AAY VARG KO AWAS GUARANTEE ADHINIYAM, 2017

[Received the assent of the Governor on the 12th April, 2017; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 20th April, 2017.]

An Act to gurantee houses at affordable price or free of cost residential plots to eligible residents of the State of Madhya Pradesh and for matters connected therewith and incidental thereto.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-eighth year of the Republic of India as follows:—

Short title and extent and commencement.

1 (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Arthik Roop Se Kamzor Varg Tatha Nimna Aay Varg Ko Awas Guarantee Adhiniyam, 2017.

(2) It shall extend to whole of the State of Madhya Pradesh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "affordable price" means price prescribed by the State Government from time to time;

(b) "Authorized Offcer" means an officer not below the rank of Deputy Collector prescribed by the State Government from time to time, who is authorized to register the eligible persons for a house or residential plot;

(c) "District Level Housing Committee" means a District Level Housing Committee constituted under section 6;

(d) "domicile of Madhya Pradesh" means the person who is native of Madhya Pradesh as prescribed by the State Government from time to time;

(e) "economically weaker section or lower income group" means a family of economically weaker section or lower income group as prescribed by the State Government from time to time;

(f) "eligible person" means a economically weaker section or lower income group persons who is domicile of Madhya Pradesh and who does not own either in his own name or in the name of any member of his family any house or residential plot in the State of Madhya Pradesh:

Provided that a person having any type of house or plot as an owner or as a lease holder under any scheme of the Government shall not be eligible, but if a beneficiary is eligible as per the eligibility criteria specified in a Central or State Government Scheme, then such ineligibility shall not be applicable.

(g) "family" means husband/wife, their minor children and unmarried children of less than 25 years of age:

provided that a widow/divorced daughter, sister, daughter-in-law, father, mother, father-in-law/mother-in-law or physically challenged brother, sister, son, daughter who is wholly dependent and living under the same roof shall be considered part of the family;

(h) "house" means a single storey or multi-storied superstructure with roof and toilet of minimum super built-up (constructed) area of each unit not less than 25 square meters, usable for residential purposes;

(i) "implementing agency" means as agency empowered to construct or allot house or residential plot under this Act and shall include the rural or urban local bodies, development authorities and the Madhya Pradesh Housing and Infrastructure Development Board;

(j) "residentrail plot" means a piece of land of minimum 45 square meters in municipal Corporations and 60 square meters in other areas, upon which construction of a house shall be permissible.

Entitlement of houses at affordable price or free of cost residential plots to eligible persons.

3. (1) Every eligible person shall be entitled to a house at affordable price or free of cost residential plot and the State Government guarantees houses at affordable price or free of cost residential plots gradually to all eligible persons.

(2) The power to allot either a house or a residential plot shall vest with the implementing agency, and the grievances of housing shall be redressed by the District Level Housing Committee.

4. (1) If an eligible person is identified in a survey for getting a house at affordable price or free of cost residential plot, the Authorized Officer shall register such eligible person in the prescribed manner, who is having documents in proof of his eligibility. **Registration of eligible person.**

(2) The Authorized Officer shall maitain the rgister of eligible persons and give information of registered beneficiaries to the District Level Housing Committee.

5. Notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force, the urban and rural local bodies may adopt land pooling for the purpose of allotment of houses and residential plots in such manner as may be prescribed. **Allotment of houses and resdential plots.**

6. The State Government may constitute District Level Housing Committees in such manner and consisting of such members as may be presribed. **Constitution of District Level Housing Committees.**

7. The District Level Housing Committee shall estimate the requirement of housing on the basis of the information of eligible persons registered under its jurisdiction. The District Level Housing Committtee may direct implementation agency for providing houses at affordable price or free of cost residentail plots gradually to the eligible persons registered under is jurisdiction, and it shall also perform such other duties as entrusted to it by the State Government. **Duties of the District Level Housing Committee.**

8. Appeal against the decision of inclusion or exclusion eligible person by the Authorized Officer shall lie before the District Collector, who shall dispose such appeal within a period of sixty days. **Appeal against the decision of the Authorized Officer.**

9. (1) The State Government may, by notification, make rules to carry out the provisions of this Act. **Power to make rules.**

(2) All rules made under this Section shall be laid before the Legislative Assembly.

10. The State Government may isssue such directions as it may consider necessary to give effect to the provisions of this Act. **Power of the State Government to issue directions.**

11. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order, not inconsistent with the provisions of this Act, remove the difficulty. **Power to remove difficulties.**

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.